इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 374]   भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 सितम्बर 2015—भाद्र 19, शक 1937

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2015

क्र. एफ 1-176-2011-अड़तीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भरती नियम, 1990 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 355 दिनांक 27 अगस्त 2015 द्वारा प्रकाशित किए गये थे, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

1. अनुसूची-एक के नोट के पैरा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"नियमों में वर्णित समस्त पदों के लिये न्यूनतम योग्यताएं एवं वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय) विनियम, 2010 तथा उनमें पश्चात्वर्ती संशोधनों द्वारा विहित किए गए मानकों सहित तथा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अंगीकृत किए गए अनुसार होंगे.".

2. अनुसूची-तीन में, कॉलम (5) में,—

(एक) विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"नियमों में वर्णित समस्त पदों के लिए न्यूनतम योग्यताएं एवं वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय) विनियम, 2010 तथा उनमें पश्चात्वर्ती संशोधनों द्वारा विहित किए गए मानकों सहित तथा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अंगीकृत किए गए अनुसार होंगे.".

(दो) नोट के पैरा 2 का लोप किया जाए.

No. F 1-176-2011-XXXVIII-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Educational Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 2015 which was published in the Madhya Pradesh Gazette vide this Department's Notification No. 355 dated 27th August 2015 namely :—

AMENDMENTS

1. For para 2 of the Note to schedule-I, the following Para shall be substituted, namely :—

"The Minimum Qualifications and pay Scale for all the posts mentioned in the rules shall be as per the norms prescribed by the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the maintenance of Standards in Higher Education) Regulation, 2010 and with the norms prescribed there in by the Subsequent amendments and as adopted by the Government of Madhya Pradesh.".

2. In Schedule III, in column (5),—

(i) For existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"The Minimum Qualifications and pay Scale for all the posts mentioned in the rules shall be as per the norms prescribed by the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the maintenance of Standards in Higher Education) Regulation, 2010 and with the norms prescribed there in by the Subsquent amendments and as adopted by the Government of Madhya Pradesh.".

(ii) Para 2 of the Note shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ललित दाहिमा, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.